न्यायालय : विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सागर म.प्र.
समक्ष : आलोक मिश्रा

Registration No.- **SC LOK/11/2022**
Filing No. - **SC LOK/15770/2022**
C.N.R. NO. - **MP1501-017700-2022**
Filing Date - **13.12.2022**

निर्णय की तारीख
18/10/2024

प्रकरण संख्या SC LOK/11/2022

(म.प्र. राज्य द्वारा थाना, विशेष पुलिस स्थापना, भोपाल इकाई सागर के अपराध क्र. 72/20 अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधि., 1988 से उद्‌भूत विशेष प्रकरण।)

परिवादी	म.प्र. राज्य द्वारा थाना विशेष पुलिस स्था., भोपाल इकाई सागर
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री श्याम नेमा ए.डी.पी.ओ. व श्री एल.पी. कुर्मी ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्त	**विजय कुमार दुबे** पुत्र स्व. बसंत कुमार दुबे, उम्र 28 वर्ष, निवासी गुलाब कॉलोनी, शिवाजी वार्ड, सागर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राहुल नामदेव अधिवक्ता।

अपराध की तारीख	02.06.2020
प्र.सू.रि. की तारीख	शून्य 04.06.20 (असल कायमी 08.06.20)
अभियोग–पत्र की तारीख	13.12.2022
आरोपों के विरचना की तारीख	17.01.2023
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तारीख	15.02.2023
निर्णय सुरक्षित करने की तारीख	14.10.2024
निर्णय की तारीख	18.10.2024
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	18.10.2024

//निर्णय//
(आज दिनांक 18.10.2024 को घोषित्)

1. अभियुक्त **विजय कुमार दुबे** के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (एतस्मिनपश्चात् अधि., 1988) की धारा 7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का **आरोप** है कि उसने दिनांक 02.06.2020 को सहायक समिति प्रबंधक पामाखेड़ी जिला सागर के पद पर अर्थात् लोकसेवक रहते हुये आवेदक चंद्रभान सिंह से उसकी मां व भाई के 79 क्विंटल चना की तुलवाई की पक्की रसीद देने के ऐवज् में 70/—रु. प्रति क्विंटल के हिसाब से राशि अर्थात् असम्यक् लाभ की मांग की व दिनांक 03.06.2020 को 50/—रु. प्रति क्विंटल राशि अभिप्राप्त करने हेतु सहमत होकर दिनांक 04.06.2020 को चना खरीदी केंद्र सांईखेड़ा में 5,000/—रु. (पांच हजार) रिश्वत राशि अभिप्राप्त की।

2. प्रकरण में यह **अविवादित** रहा है कि घटना के सुसंगत समय अर्थात् दिनांक 02.06.2020 के पूर्व से ट्रेप दिनांक 04.06.2020 को भी अभियुक्त विजय कुमार दुबे, सहायक समिति प्रबंधक पामाखेड़ी, जिला—सागर अर्थात् लोकसेवक के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत् था। म.प्र. नियम तथा आदेश (आपराधिक) संशोधित नियम 458 में प्रारूप **''च''** की जानकारी निर्णय के साथ संलग्न की गयी है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि —

(1) **(रिश्वत मांग संबंधी शिकायत)** दिनांक 03.06.2020 को आवेदक चंद्रभान सिंह ने अभियुक्त विजय दुबे के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय सागर को सम्बोधित करते हुये एक <u>लिखित शिकायत/आवेदन</u> इस आशय का दिया कि दि.02.06.2020 को उसने खरीदी केंद्र सांईखेड़ा में अपनी मां रामरानी व भाई महेंद्र सिंह के नाम पर 79 क्विंटल चना की तुलाई करवाई थी, जिसकी कच्ची रसीद प्रभारी खरीदी केंद्र सांईखेड़ा अभियुक्त विजय दुबे ने दी तथा पक्की रसीद देने के ऐवज् में अभियुक्त प्रति क्विंटल 70/—रु. के हिसाब से रिश्वत की मांग कर रहा है, वह अभियुक्त को रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है। तत्कालीन पुलिस

अधीक्षक, वि.पु.स्था. लोकायुक्त कार्यालय, सागर ने उक्त आवेदन पर अग्रिम कार्यवाही हेतु निरीक्षक मंजू सिंह को अधिकृत किया।

(2) **आवेदन में वर्णित तथ्यों के सत्यापन** हेतु निरीक्षक मंजू सिंह ने दि. 03.06.2020 को साक्षीगण के समक्ष आवेदक को एक सोनी कम्पनी का वॉयस रिकॉर्डर नं.–2364009 दिया, इसके संचालन का तरीका बताया, अभियुक्त से रिश्वत मांगवार्ता कर रिकॉर्ड करने हेतु निर्देशित किया तथा उसके साथ छायासाक्षी के रूप में आरक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह को भेजा, जिसके संबंध में वॉयस रिकॉर्डर ईश्यु पंचनामा बनाया। आवेदक ने दिनांक 03.06.2020 को अभियुक्त से चना/मसूर खरीदी केंद्र सांईखेड़ा के पास स्थित चाय–पान की दुकान पर संपर्क कर बातचीत कर रिकॉर्ड की, बातचीत के दौरान् अभियुक्त ने आवेदक से 50/–रु. क्विंटल के हिसाब से रिश्वत की मांग की। आवेदक ने उक्त वॉयस रिकॉर्डर को लिफाफे में रखकर इसे गोंद से चिपकाकर द्वितीय आवेदन सहित आरक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह के हस्ते लोकायुक्त कार्यालय, सागर प्रेषित् किया, जिसे उसने निरीक्षक मंजू सिंह को दिया, लिफाफे को साक्षीगण के समक्ष जप्त कर सुरक्षार्थ कार्यालय की सेफ में रखकर पंचनामा बनाया गया। आवेदक ने अपने द्वितीय आवेदन पत्र में रिश्वत राशि का इंतजाम कर कल सुबह अर्थात् दिनांक 04.06.2020 को लोकायुक्त कार्यालय सागर में उपस्थित हो जाने की बात लेख की थी। निरीक्षक मंजू सिंह ने परिस्थितियों से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया तो उसे ट्रेप आयोजित करने का मौखिक आदेश दिया गया।

(3) तत्पश्चात् **ट्रेप आयोजित करने की कार्यवाही** की गई, दि.03.06.2020 को ही दो स्वतंत्र पंचसाक्षी उपलब्ध कराने हेतु ए.डी.एम. को पत्र लिखा गया, जिसके अनुक्रम में कार्यालय कलेक्टर सागर के आदेश दि.03.06.2020 के अनुपालन में पंच साक्षी गुरूकुल प्रभाकर उपयंत्री कार्या. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल व रंजीत सिंह पट्टा उपयंत्री कार्या. लो.स्वा.यां.मैकेनिकल खंड, लोकायुक्त कार्यालय, सागर में उपस्थित हुये, जिन्हें निरीक्षक मंजू सिंह ने दि.04.06.2020 को सुबह लगभग 08:00 बजे उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया। आवेदक दिनांक 04.06.2020 को सुबह लगभग 08:00 बजे 5,000/–रु.

(500/–रु. के 10 नोट) लेकर लोकायुक्त कार्यालय सागर में उपस्थित हुआ और अग्रिम कार्यवाही बाबत तृतीय आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया। निरीक्षक मंजू सिंह ने आवेदक का परिचय पंचसाक्षीगण व अन्य स्टाफ से कराया। इसके बाद अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

(4) आवेदक द्वारा अब तक दिये गये तीनों शिकायत आवेदन–पत्रों को, पंचसाक्षीगण ने आवेदक को पढ़कर सुनाया, जिसने इनमें लिखे तथ्यों को सही स्वीकारा, आवेदन–पत्रों पर पंचसाक्षी गुरूकुल प्रभाकर ने उक्ताशय की टीप अंकित की व दोनों पंचसाक्षीगण ने हस्ताक्षर किये। इसके बाद गोंद से चिपका लिफाफा फाड़कर वॉयस रिकॉर्डर निकालकर पंचनामा बनाया। वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज आवाजों को आवेदक को सुनाये जाने पर आवेदक ने रिकार्डेड आवाजों को पहचानकर एक आवाज अपनी, एक आवाज अभियुक्त की होना बतायी। **रिश्वत मांगवार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट** व तीन नग हूबहू सी.डी. तैयार कर इन्हें अलग–अलग सीलबंद कर जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया, सी.डी. बनाये जाने के संबंध में धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया। अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग किया जाना प्रथम दृष्ट्या पाये जाने पर धारा 7 अधि., 1988 के अंतर्गत शून्य पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर असल नम्बर पर कायमी हेतु वि.पु.स्था. भोपाल भेजा, जहां दिनांक 08.06.2020 को अपराध क्र. 72/20 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई।

(5) आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिश्वत राशि 5,000/–रु. (500/– रुपये के 10) के **नोटों के नम्बर** पंचसाक्षी गुरूकुल प्रभाकर ने पंचनामा में नोट कराये, उक्त नोटों पर आरक्षक नीलेश पांडे ने **फिनाफ्थलीन पावडर** की हल्की परत लगाई, पंचसाक्षी गुरूकुल प्रभाकर द्वारा आवेदक के पहने हुए कपड़ों की तलाशी लेने के उपरांत आरक्षक नीलेश पांडे से रिश्वत राशि के नोट आवेदक की पहनी हुयी फुलपेंट की दाहिनी जेब में रखवाए गए तथा आवेदक को **समझाईश** दी गई कि अभियुक्त को रिश्वत राशि देने के पहले नोटों को न छुए, न ही किसी से हाथ मिलाए और रिश्वत राशि का लेनदेन हो जाने पर सिर पर हाथ फेरकर इशारा कर दे। तत्पश्चात् आरक्षक विक्रम सिंह से **सोडियम कार्बोनेट का घोल**

तैयार कराया जाकर इसमें दोनों पंचसाक्षीगण के हाथों की अंगुलियों को धुलवाने पर घोल का रंग रंगहीन रहा, इसी के आधे घोल में आरक्षक नीलेश पांडे के हाथों की अंगुलियों को धुलवाए जाने पर घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया दोनों घोलों को अलग–अलग साफ कांच की शीशियों में भरकर सीलबंद किया गया। सोडियम कार्बोनेट व फिनाफ्थलीन पाउडर की नमूना पुड़ियां बनवायी जाकर सीलबंद की गयीं, जिस कागज पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाया था उसे जलाकर नष्ट किया गया। इसके बाद निरीक्षक संतोष जामरा ने ट्रेपदल का गठन किया, जिसमें आवेदक, दोनों पंचसाक्षीगण, निरीक्षक बी.एम. द्विवेदी, आरक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह, यशवंत सिंह, विक्रम सिंह, अजय क्षेत्री, आशुतोष व्यास को शामिल किया गया, नोटों पर पाउडर लगाने वाले आरक्षक नीलेश पांडे को ट्रेपदल में शामिल नहीं किया गया। ट्रेपदल के मौके के लिए रवाना होने के पूर्व आरक्षक विक्रम सिंह से सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कराकर ट्रेपदल के सभी सदस्यों के हाथों की उंगलियों को व ट्रेप उपकरणों को बारी–बारी से धुलवाया गया, तो घोल का रंग नहीं बदला जिसे आवश्यकता न होने से फेंककर नष्ट किया गया। सभी कार्यवाहियों का **प्रारम्भिक पंचनामा** बनाया गया।

(6) ट्रेपदल दिनांक 04.06.2020 को दोपहर लगभग 12:00 बजे दो वाहनों से लोकायुक्त कार्यालय सागर से रवाना होकर दोपहर लगभग 12:30 बजे खरीदी केंद्र सांईखेड़ा के पास पहुंचा, तभी बारिश होने से लगभग डेढ़ घंटे तक ट्रेपदल बारिश रूकने का इंतजार करता रहा, बारिश कम होने पर आवेदक को वाहन से उतारकर रिश्वत लेनदेन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु वॉयस रिकार्डर देकर रिश्वत लेनदेन हेतु अभियुक्त के पास भेजा, ट्रेपदल के सभी सदस्य आवेदक पर नजरी लगाव रखते हुए खरीदी केंद्र के आसपास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए खड़े हो गये। थोड़ी देर बाद आवेदक ने खरीदी केंद्र के टीन शेड से रिश्वत लेन–देन हो जाने का पूर्व निर्धारित इशारा किया तो ट्रेपदल उक्त स्थान में प्रवेश कर गया और आवेदक द्वारा इशारा कर बताये जाने पर टीन शेड में खड़े हुये व्यक्तियों को घेर लिया। अभियुक्त को ट्रेपदल का परिचय देकर अभियुक्त का परिचय प्राप्त करने के उपरांत आवेदक से रिश्वत राशि के बारे में पूछे जाने पर बताया कि

अभियुक्त ने रिश्वत राशि अपने हाथ में लेकर पहनी हुयी शर्ट की उपर की जेब में रख ली है। तत्पश्चात् घोल आदि की अग्रिम कार्यवाही की गई।

(7) **घोल** की कार्यवाही के दौरान् आरक्षक विक्रम सिंह से कांच के एक साफ गिलास में पृथक्–पृथक् सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर बारी–बारी से सभी के हाथों की उंगलियां, ट्रेप उपकरण आदि धुलवाने पर घोल की स्थिति निम्नानुसार रही –

ट्रेपदल के सदस्य व ट्रेप उपकरण (आवेदक को छोड़कर)	दोनों पंचसाक्षीगण की उंगलियां	आधे घोल में अभि. विजय कुमार दुबे के हाथों की उंगलियां	पंचसाक्षी गुरूकुल प्रभाकर द्वारा रिश्वत राशि बरामद करने के उपरांत	आवेदक	अभि. की शर्ट की जेब धुलाने पर
रंगहीन	रंगहीन	हल्का गुलाबी	गहरा गुलाबी	हल्का गुलाबी	हल्का गुलाबी

इनके अलग–अलग पंचनामे बनाये गये, उक्त घोलों को पृथक्–पृथक् कांच की साफ शीशियों में भरकर सीलबंद कर रखा गया। पंचसाक्षी गुरूकुल प्रभाकर ने अभियुक्त की पहनी हुयी शर्ट की उपर की जेब से रिश्वत राशि 5,000/–रू. बरामद की, रिश्वत राशि के नोटों के नम्बरों का मिलान करने के उपरांत इसे जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त से आवेदक के कार्य से संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछे जाने पर अभियुक्त ने खरीदी केंद्र कार्यालय से आवेदक के भाई महेंद्र पिता रामलाल की खरीदी पावती, कच्ची पर्ची, जिस पर 45 क्विंटल चना व पंजीयन पर्ची कुल 03 पृष्ठ एवं रामरानी पति रामलाल की खरीदी पावती, कच्ची पर्ची, जिस पर 14 क्विंटल चना व पंजीयन पर्ची कुल 03 पृष्ठ तथा एक रजिस्टर (कुल 33 पृष्ठ पेज नं.10 सरल क्रं. 18 व 19 पर महेंद्र व रामरानी का नाम), प्रस्तुत किये, जिनका जप्ती पंचनामा बनाया गया। आवेदक से वॉयस रिकॉर्डर वापिस लेकर पंचसाक्षीगण के समक्ष चलाकर सुनाये जाने पर आवेदक ने अपनी व अभियुक्त की आवाजें पहचानीं, लेन–देन वार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट व 03 नग सी. डी. तैयार करायी जाकर सी.डी. को अलग–अलग लिफाफों में सीलबंद कर जप्त किया गया। नक्शा मौका पंचनामा बनाया गया। घटनास्थल पर अत्यधिक

भीड़भाड़ होने से अभियुक्त को थाना मकरोनिया लाकर अग्रिम कार्यवाही की गयी। अभियुक्त को आवाज नमूना हेतु सूचना–पत्र दिया, अभियुक्त ने अपना आवाज नमूना दिये जाने की सहमति दी, तत्पश्चात् अभियुक्त का आवाज नमूना विधिवत् रिकॉर्ड किया गया, जिसकी 04 नग सी.डी. तैयार करायी जाकर अलग–अलग लिफाफों में सीलबंद कर जप्त की गयी। लेन–देन वार्ता व आवाज नमूना की सी.डी. बनाये जाने के संबंध में संबंधित से धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का <u>प्रमाण–पत्र</u> प्राप्त किया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जमानत, मुचलके पर रिहा किया गया, कार्यवाही उपरांत सकुशल रूखसत किया गया। समस्त कार्यवाही का **अंतिम कार्यवाही पंचनामा** तैयार किया गया। सभी संबंधित पंचनामों पर संबंधितों के हस्ताक्षर लिये गये।

(8) विवेचना के दौरान् जप्तशुदा घोलों की शीशियों को रासायनिक परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. सागर तथा अभियुक्त के आवाज नमूना व रिश्वत मांग वार्ता की सी.डी. आवाज परीक्षण हेतु आर.एफ.एस.एल भोपाल भेजा गया था, जहां से अभियोजन के पक्ष में धनात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुईं। द्वितीय विवेचक उप–पुलिस अधीक्षक राजेश खेड़े ने साक्षीगण के पुलिस कथन लेखबद्ध किये, अभियुक्त के आवाज नमूना की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की, अभियुक्त के विभाग से उसका <u>बायोडाटा</u> प्राप्त किया, तत्पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध विधिवत् पूर्व अभियोजन स्वीकृति लेने के उपरांत दिनांक <u>13.12.2022</u> को **अभियोग–पत्र** इस न्यायालय में विचारणार्थ प्रस्तुत किया गया।

4. दिनांक <u>17.01.2023</u> को अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय की कंडिका क्र.1 में वर्णित आरोप विरचित जाने पर उसने अस्वीकार किये व विचारण चाहा। **अभियुक्त ने** धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत् **परीक्षण में** अभिवाक् लिया है कि:–

> *'मेरा तुलाई का कोई काम नहीं था, न ही आवेदक की तुलाई से संबंधित काम मेरे पास था। आवेदक व उसके भाईयों आदि ने समिति से लोन लिया था। समय पर ऋण न देने से उनसे विवाद भी हुआ था। आवेदक ने भ्रम बनाकर मुझे झूंठा फंसाया है'।*

धारा 313 (5) दं.प्र.सं. के अंतर्गत पृथक् से प्रस्तुत **लिखित कथन** में लेख किया है कि घटना दिनांक को चना खरीदी केंद्र प्रभारी शिवम वैष्णव विक्रेता था, अभियुक्त उस समय गेहूं खरीदी केंद्र प्रभारी पामाखेड़ी था, आवेदक व उसके भाई महेंद्र आदि ने समिति से खाद, बीज के लिये ऋण ले रखा था, समय से ऋण जमा न करने पर अभियुक्त ने उन्हें नोटिस दिये थे, जिस कारण आवेदक व उसके भाईयों ने उससे विवाद भी किया था। अभियुक्त ने 5,000/–रु. की राशि सर्वेयर को देने को कहा था, जो समिति में ऋण खाते में राशि जमा कर देता। अभियुक्त के पास आवेदक का कोई कार्य लम्बित नहीं था। रसीदें ऑनलाईन भुगतान होने के कारण संबंधित के मोबाईल पर मैसेज आता है, कच्ची रसीदों पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं है। शिकायत के पूर्व ही रसीदें कट चुकी थीं व संबंधित हितग्राही के मोबाईल पर मैसेज भी पहुंच गये थे।

5. प्रकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :

1	क्या अभियुक्त के अभियोजन हेतु पूर्व मंजूरी विधिवत् प्राप्त की गई थी ?
2	क्या अभियुक्त विजय कुमार दुबे ने दिनांक 02.06.2020 को व इसके पूर्व सहायक समिति प्रबंधक पामाखेड़ी जिला सागर के पद पर अर्थात् लोकसेवक रहते हुये आवेदक चंद्रभान सिंह से उसकी मां व भाई के 79 क्विंटल चना की तुलवाई की पक्की रसीद देने के ऐवज् में 70/–रु. प्रति क्विंटल के हिसाब से रिश्वत अर्थात् असम्यक् लाभ की मांग की और दिनांक 03.06.2020 को 50/–रु. प्रति क्विंटल के हिसाब से राशि अभिप्राप्त करने हेतु सहमत होकर दिनांक 04.06.2020 को चना खरीदी केंद्र सांईखेड़ा में 5,000/–रु. (पांच हजार) रिश्वत राशि अर्थात् असम्यक् लाभ अभिप्राप्त किया ?
3	दण्डादेश, यदि कोई हो ?

<u>निष्कर्ष एवं आधार</u>

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण</u>

6. <u>प्रकरण में यह स्वीकृत व अविवादित है कि घटना की सुसंगत समयावधि में **अभियुक्त विजय कुमार दुबे**</u> प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित पामाखेड़ी में <u>सहायक समिति प्रबंधक के पद पर कार्यरत् था,</u> **<u>जो अधि0, 1988 की धारा 2(सी) के अंतर्गत लोकसेवक की श्रेणी में आता</u>**

<u>है।</u> इसकी पुष्टि **ज्ञानप्रकाश पिपरसानिया अ.सा.1** ने अपनी साक्ष्य में दिये गये अभियुक्त के बायोडाटा प्र.पी.2 तथा आवेदक चंद्रभान सिंह अ.सा.4, शिवम वैष्णव ब.सा.4 की साक्ष्य व स्वयं अभियुक्त द्वारा धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत की गयी उक्त तथ्य की स्वीकारोक्ति से भी होती है।

7. साक्षी **ज्ञानप्रकाश पिपरसानिया अ.सा.1** ने प्र.पी.3 का पूर्व अभियोजन मंजूरी आदेश पारित करना बताते हुए इसे प्रमाणित किया है। प्रतिपरीक्षण में इस बात को सही बताया है कि उसने प्र.पी.3 का आदेश जारी करने के पूर्व अभियुक्त को नहीं सुना था। इस बारे में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन मंजूरी का आदेश दिये जाते समय अभियुक्त को सुने जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायदृष्टांत **<u>मध्यप्रदेश राज्य वि. डॉ. कृष्णचंद सक्सेना (1996) 11 एस.सी. सी. 439</u>** अवलोकनीय है। प्र.पी.3 के आदेश के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियुक्त द्वारा प्रथम दृष्ट्या अपराध किये जाने की संतुष्टि उपरांत, सविवरण अभियोजन की मंजूरी दी गई है। अतः यह स्पष्ट है कि **अभियोजन अधि.,1988 की धारा 19 के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व अभियोजन मंजूरी की विधिकता व नियमितता को प्रमाणित करने में सफल** रहा है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक–2 व 3</u>
<u>(सुविधानुसार एकसाथ निराकृत)</u>

8. **आवेदक चंद्रभान सिंह अ.सा.4** ने बताया है कि वह 06 भाई हैं, उसकी माताजी रामरानी भी उनके साथ रहती है। वह परिवार की खेती के काम की देखभाल संयुक्त रूप से करता है। उसने वर्ष 2020 में अपने भाई महेंद्र सिंह व मां रामरानी के नाम के 79 क्विंटल चना की तुलाई पामाखेड़ी सोसायटी के अंतर्गत सांईखेड़ा खरीदी केंद्र में कराई थी। अभियुक्त विजय दुबे ने चना तुलाई की कच्ची रसीद उसे दे दी थी, जब वह अभियुक्त से पक्की रसीद मांगने गया तो अभियुक्त ने उससे 70/–रु. प्रति क्विंटल की दर से

रिश्वत की मांग की थी, वह रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिये उसने दिनांक 03.06.2020 को लोकायुक्त कार्यालय, सागर आकर प्र.पी.10 का प्रथम शिकायत आवेदन दिया था, जिसके साथ उसने चना तुलाई की कच्ची रसीद की छायाप्रति प्र.पी.11 संलग्न की थी। **निरीक्षक मंजू सिंह अ.सा.7** ने भी ऐसा ही बताया है, यह भी बताया है कि आवेदक ने प्रथम शिकायत आवेदन प्र.पी.10 के साथ तुलाई की कच्ची पावती की छायाप्रति प्र.पी.11 के अलावा अपने आधार–कार्ड की छायाप्रति प्र.पी.11ए भी प्रस्तुत की थी। प्रकरण में प्र.पी. 11 की कच्ची पावती की मूल प्रति ट्रेप दिनांक को जप्त दस्तावेजों की जप्त की गयी है, जिसे प्र.पी.11ए से चिन्हित किया गया है।

9. तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रामेश्वर सिंह यादव ने प्रथम आवेदन प्र.पी. 10 पर कार्यवाही हेतु **निरीक्षक मंजू सिंह अ.सा.7** को अधिकृत किया था, जिसने बताया है कि उसने दि.03.06.2020 को ही आरक्षक अजय क्षेत्री व विक्रम सिंह अ.सा.6 की उपस्थिति में आवेदक को रिश्वत मांगवार्ता रिकॉर्ड करने हेतु एक वॉयस रिकॉर्डर दिया, इसके संचालन का तरीका बताया व छायासाक्षी के रूप में आरक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह अ.सा.3 को आवेदक के साथ भेजा, इस संबंध में प्र.पी.7 का पंचनामा बनाया गया था, जिसकी अंतर्वस्तु की पुष्टि आवेदक चंद्रभान सिंह अ.सा.4 व छायासाक्षी सुरेंद्र प्रताप सिंह अ.सा.3 ने भी की है। आवेदक चंद्रभान सिंह अ.सा.4 ने बताया है कि वह छायासाक्षी सुरेंद्र प्रताप सिंह अ.सा.3 के साथ सांईखेड़ा सोसायटी अभियुक्त के पास गया था, उसने सुरेंद्र प्रताप सिंह अ.सा.3 को थोड़ी दूरी पर छोड़ दिया था। उसने अभियुक्त से रिश्वत लेन–देन की बात कर रिकॉर्ड की थी और दिनांक 04.06.2020 को रिश्वत लेन–देन तय हुआ था। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस बात को सही बताया है कि बातचीत के दौरान् अभियुक्त उसके पूर्व के चना की तुलाई की पक्की रसीद व अन्य चना की तुलाई के लिये 50/–रु. प्रति क्विंटल की दर से रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत हो गया था। उसने वॉयस रिकॉर्डर को प्र.पी.12 के लिफाफे में रखकर उसे गोंद से चिपकाकर लिफाफे के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर कर द्वितीय आवेदन प्र.पी.13 सहित आरक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह अ.सा.3

को दे दिया था। छायासाक्षी सुरेंद्र प्रताप सिंह अ.सा.3 के अनुसार उसने लिफाफे को द्वितीय आवेदन सहित निरीक्षक मंजू सिंह अ.सा.7 को दिया था, जिसने लिफाफे को सुरक्षार्थ रखकर प्र.पी.8 का पंचनामा बनाया।

10. प्रकरण में आवेदक ने कंडिका–28 में बताया है कि उसने स्वयं लोकायुक्त कार्यालय सागर आकर प्र.पी.13 का द्वितीय आवेदन निरीक्षक मंजू सिंह अ.सा.7 को दिया था, जिसे कि बचाव पक्ष की ओर से विरोधाभास के तौर पर दर्शाया गया है, किन्तु प्र.पी.13 का द्वितीय आवेदन स्वयं आवेदक ने निरीक्षक मंजू सिंह को दिया या किसी के माध्यम से भिजवाया, यह विशेष महत्व नहीं रखता, बल्कि आवेदन की अंतर्वस्तु महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार वॉयस रिकॉर्डर की समुचित अभिरक्षा व छेड़छाड़ की संभावना न होना ही महत्व रखता है, हस्तगत मामले में उक्त वॉयस रिकॉर्डर लिफाफे में बंद हालत में जमा किया गया था, जो अगले दिन खोला गया था।

11. आगे विचार किया जाए तो प्र.पी.13 के द्वितीय आवेदन में उल्लेख अनुसार आवेदक अगले दिन अर्थात् दिनांक 04.06.2020 को रिश्वत राशि लेकर कार्यालय आयेगा, इस पर निरीक्षक मंजू सिंह अ.सा.7 के अनुसार उसने पुलिस अधीक्षक को परिस्थितियों से अवगत कराया तो पुलिस अधीक्षक ने ट्रेप आयोजित करने का मौखिक आदेश दिया था, जिसके अनुक्रम में उसने दिनांक 03.06.2020 को ही पंचसाक्षीगण उपलब्ध कराये जाने हेतु ए.डी.एम. सागर को प्र.पी.50 का पत्र लिखा गया, जिसके अनुक्रम में जारी आदेश प्र.पी.41 के अनुपालन में पंचसाक्षी गुरूकुल प्रभाकर अ.सा.5 व रंजीत सिंह पट्टा कार्यालय में उपस्थित हुए, जिन्हें दिनांक 04.06.2020 को प्रातः 08:00 बजे लोकायुक्त कार्यालय सागर में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया, पंच साक्षी गुरूकुल प्रभाकर अ.सा.5 ने भी ऐसा ही बताया है।

12. आवेदक चंद्रभान सिंह अ.सा.4 ने बताया है कि वह दि.04.06.2020 को सुबह लगभग 10:00–10:30 बजे रिश्वत राशि 5,000 रु. (500 रु. के 10 नोट) लेकर लोकायुक्त कार्यालय सागर आया और अग्रिम कार्यवाही बावत् प्र.पी.14 का आवेदन दिया। आवेदक के प्रतिपरीक्षण में उसके लोकायुक्त कार्यालय सागर

पहुंचने के समय को लेकर कुछ अंतर आया है, वह कंडिका–29 में सुबह 10:00–11:00 बजे पहुंचना कहता है, किंतु बाद में स्पष्ट करता है कि घटना को 04 साल हो जाने से उसे निश्चित समय याद नहीं है, जो कि स्वाभाविक भी है। साक्षी एक बात पर अडिग रहा है कि लोकायुक्त कार्यालय सागर में कार्यवाहियां उसके पहुंचने के बाद ही हुयी थी। यह उल्लेखनीय है कि ट्रेप पूर्व की जाने वाली प्रारंभिक कार्यवाहियां लोकायुक्त पुलिस के अधिकृत अधिकारी के निर्देश पर आवेदक, पंच साक्षीगण व अन्य स्टाफ की उपस्थिति में की जाती है, जिस कारण संबंधित पुलिस अधिकारी व उपस्थित साक्षीगण की साक्ष्य इस संबंध में प्राथमिक साक्ष्य होती है। निरीक्षक मंजू सिंह अ.सा.7 के अनुसार उसने आवेदक व पंच साक्षीगण का आपस में परिचय कराया। **पंचसाक्षी गुरूकुल प्रभाकर अ.सा.5** ने प्रथम आवेदन प्र.पी.10, द्वितीय आवेदन प्र.पी.13 व तृतीय आवेदन प्र.पी.14 आवेदक को पढ़कर सुनाकर सत्यापन किया, तत्संबंधी टीप आवेदन–पत्रों में लगायी व दोनों पंचसाक्षीगण ने हस्ताक्षर किये। इसके बाद प्र.पी.12 का बंद लिफाफा फाड़कर वॉयस रिकॉर्डर निकाला, जिसके संबंध में प्र.पी.15 का पंचनामा बनाया गया, वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज मांगवार्ता को सुनाये जाने पर आवेदक ने अपनी व अभियुक्त की आवाजें पहचानीं, रिकॉर्डेड वार्तालाप का ट्रांसस्क्रिप्ट पंचनामा प्र.पी. 16 बनाया गया, जिसमें आवेदक चंद्रभान सिंह अ.सा.4 द्वारा कही गयी बातों को "स्पीकर–1" व अभियुक्त द्वारा कही गयी बातों को "स्पीकर–2" व अन्य व्यक्ति द्वारा कही गयी बातों को "स्पीकर–3" से संबोधित किया गया है। आरक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह अ.सा.3 ने वॉयस रिकॉर्डर में दर्ज रिश्वत मांगवार्ता की 3 हूबहू सी.डी. लैपटॉप के माध्यम से तैयार की। उक्त सीडियों को अलग–अलग लिफाफों में रखकर सीलबंद कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.17 बनाया गया। उक्त कार्यवाहियों की पुष्टि आवेदक चंद्रभान सिंह अ.सा.4 व पंचसाक्षी गुरूकुल प्रभाकर अ.सा.5 ने भी की है।

13. निरीक्षक मंजू सिंह अ.सा.7 ने आगे बताया है कि प्रथम दृष्ट्या धारा 7 अधि.1988 का अपराध दर्शित होने से शून्य पर प्र.पी.18 की कायमी की गयी, जिसे वि.पु.स्था. भोपाल भेजा गया, जहां दिनांक 08.06.2020 को थाना वि.पु.स्था.

भोपाल में अप.क्र. 72/20 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.49 लेखबद्ध की गयी। इसके बाद पंचसाक्षी गुरूकुल प्रभाकर अ.सा.5 ने रिश्वत राशि अर्थात् 500/–रु. के 10 नोटों के नंबर पंचनामा में नोट कराये, आरक्षक नीलेश पांडे अ.सा.2 ने रिश्वत राशि के नोटों पर फिनॉफथलीन पावडर की परत लगायी और आवेदक की पंचसाक्षी गुरूकुल प्रभाकर अ.सा.5 द्वारा तलाशी उपरांत नीलेश पांडे ने उक्त नोट आवेदक की फुलपेंट की दायीं जेब में रखे। आवेदक को समझाईश दी गयी कि वह लेन–देन के पूर्व नोटों को न छुये, न ही किसी से हाथ मिलाये और लेन–देन उपरांत सिर पर हाथ फेरकर इशारा कर दे। इसके बाद निरीक्षक मंजू सिंह अ.सा.7 के निर्देश पर **आरक्षक विकम सिंह अ.सा.6** ने सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर उक्त घोल में दोनों पंचसाक्षीगण के हाथों की उंगलियों को धुलाया, जो रंगहीन रहा, इस घोल के आधे भाग में आरक्षक नीलेश पांडे के हाथों की उंगलियों को धुलाने पर घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, घोलों को अलग–अलग कांच की शीशियों में सीलबंद कर रखा गया व प्र.पी.6 का पंचनामा बनाया गया। इसके बाद निरीक्षक मंजू सिंह अ.सा.7 ने ट्रेपदल का गठन किया, जिसमें नोटों पर पाउडर लगाने वाले आरक्षक नीलेश पांडे को शामिल नहीं किया गया। पुनः सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कराकर ट्रेपदल के सभी सदस्यों व उपकरणों को घोल में धुलाकर फिनॉफथलीन पावडर की अनुपस्थिति सुनिश्चित की गयी तथा लोकायुक्त कार्यालय सागर में की गयी समस्त ट्रेप पूर्व कार्यवाहियों के संबंध में प्र.पी.20 का प्रारंभिक पंचनामा बनाया गया। प्र.पी.20 के प्रारंभिक पंचनामा में उल्लेखित कार्यवाहियों की पुष्टि आवेदक चंद्रभान सिंह अ.सा.4, पंच साक्षी गुरूकुल प्रभाकर अ.सा.5 ने भी की है।

14. रिश्वत का लेन–देन खरीदी केंद्र सांईखेड़ा में होना तय हुआ था, अतः ट्रेपदल दिनांक 04.06.2020 को दोपहर लगभग 12:00 बजे लोकायुक्त कार्यालय सागर से शासकीय वाहनों से रवाना होकर दोपहर लगभग 12:30 बजे सांईखेड़ा स्थित खरीदी केंद्र के समीप पहुंचा, बारिश होने के कारण ट्रेपदल वहीं रूका रहा, बारिश कम होने पर दोपहर लगभग 02:00 बजे उसने, आवेदक को वाहन से उतारकर रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु वॉयस रिकॉर्डर देकर रिश्वत

लेन–देन के लिये रवाना किया गया तथा आवश्यक समझाईश दी, ट्रेपदल के सभी सदस्य अपनी उपस्थिति छिपाते हुये आवेदक पर नजरी लगाव रखते हुये आसपास खड़े हो गये। ट्रेपदल के अन्य सदस्यों ने भी ऐसा ही बताया है। अब चूंकि रिश्वत लेनदेन के समय आवेदक अकेला गया था, जिस कारण उसकी साक्ष्य प्राथमिक होकर अहम है।

15. आवेदक चंद्रभान सिंह अ.सा.4 ने बताया है कि उसने अभियुक्त के पास जाकर रिश्वत राशि 5,000/–रु. दिये, तो अभियुक्त ने रिश्वत राशि अपने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुयी शर्ट की जेब में रख ली। इसके बाद उसने ट्रेपदल को पूर्व निर्धारित इशारा किया, तो ट्रेपदल ने खरीदी केंद्र में आकर अभियुक्त को घेरे में लिया। क्योंकि ट्रेपदल के प्रवेश के बाद आगे की कार्यवाही ट्रेपदल के सदस्यों की उपस्थिति में ट्रेपदल का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधिकारी द्वारा व उसके निर्देश पर की जाती है, इन परिस्थितियों में ट्रेपदल के अन्य सदस्यों की साक्ष्य भी उक्त कार्यवाही के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य ही मानी जायेगी।

16. निरीक्षक मंजू सिंह अ.सा.7 के अनुसार उसने अभियुक्त को ट्रेपदल का परिचय दिया व उसका परिचय लेने के उपरांत आवेदक से रिश्वत राशि के बारे में पूछा, तो आवेदक ने बताया कि अभियुक्त ने रिश्वत राशि अपने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुयी शर्ट की उपर की जेब में रख ली है। निरीक्षक मंजू सिंह अ.सा. 7 ने बताया है कि उसके निर्देश पर आरक्षक विक्रम सिंह ठाकुर अ.सा.6 ने सोडियम कार्बोनेट के घोल की कार्यवाही की, मौके पर बार–बार सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कराकर बारी–बारी से घोल में धुलाने की कार्यवाही कर पंचनामे बनाये गये, जिनका सुविधा की दृष्टि से क्रमानुसार सार इस प्रकार है :–

क.	धुलायी गयी वस्तु का विवरण	घोल का रंग	प्रदर्श
1.	ट्रेप सामग्री व ट्रेपदल के सदस्यों (आवेदक को छोड़कर) के हाथों की अंगुलियों,	रंगहीन	प्र.पी.19
2.	पहले पंचसाक्षीगण के हाथों की अंगुलियों व आधे घोल में अभियुक्त के हाथों की अंगुलियों	पंचसाक्षीगण का रंगहीन, अभि. का	प्र.पी.22

		हल्का गुलाबी	
3.	रिश्वत राशि बरामदगी उपरांत पंचसाक्षी गुरूकुल प्रभाकर के हाथों की अंगुलियों	गहरा गुलाबी	प्र.पी.23
4.	अभि. की पहनी हुयी शर्ट की जेब को धुलाने पर	हल्का गुलाबी	प्र.पी.24
5.	आवेदक के हाथों की अंगुलियों	हल्का गुलाबी	प्र.पी.25

17. पंच साक्षी गुरूकुल प्रभाकर अ.सा.5 ने अभियुक्त की पहनी हुयी शर्ट की उपर की जेब से रिश्वत राशि 5,000/—रु. (500/—रु. कुल 10 नोट) बरामद की, जिनके नोटों के नम्बरों का सही मिलान हुआ। रिश्वत राशि के नोटों को एक लिफाफे में रखकर व अभियुक्त की शर्ट आर्टिकल—जे (*धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण में अभियुक्त ने उक्त शर्ट अपनी होना स्वीकार किया है*) को सीलबंद कर जप्त कर जप्ती पंचनामा क्रमशः प्र.पी.21 व प्र.पी.24 बनाये गये। अभियुक्त से आवेदक के कार्य से संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछे जाने पर अभियुक्त ने खरीदी केंद्र कार्यालय से नस्ती क्रमांक 3 प्र.पी.42 में संलग्न दस्तावेज आवेदक के भाई महेंद्र पिता रामलाल की खरीदी पावती, कच्ची पर्ची, जिस पर 45 क्विंटल चना व पंजीयन पर्ची कुल 03 पृष्ठ एवं रामरानी पति रामलाल की खरीदी पावती, कच्ची पर्ची, जिस पर 14 क्विंटल चना व पंजीयन पर्ची कुल 03 पृष्ठ तथा एक रजिस्टर (कुल 33 पृष्ठ पेज नं.10 सरल क्रं. 18 व 19 पर महेंद्र व रामरानी का नाम) प्रस्तुत किये, जिन्हें जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.43 बनाया गया। आवेदक से वॉयस रिकॉर्डर वापस लेकर पंचसाक्षीगण के समक्ष उसे चलाकर सुनाया गया तो आवेदक ने अपनी व अभियुक्त की आवाज होना पहचाना। रिश्वत लेन—देन वार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट प्र.पी.26 बनायी गयी, जिसमें आवेदक द्वारा कही गयी बातों को ''स्पीकर—1'' तथा अभियुक्त द्वारा कही गयी बातों को ''स्पीकर—2'' व अन्य व्यक्तियों की आवाज को क्रमशः ''स्पीकर—3'', ''स्पीकर—4'' व ''स्पीकर—5'' से संबोधित किया गया। आरक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह अ.सा.3 ने लैपटॉप के माध्यम से 3 नग सी.डी. तैयार कर अलग—अलग लिफाफे

में रखकर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.27 बनाया गया। इसके पश्चात् अग्रिम कार्यवाही के लिये अभियुक्त को थाना मकरोनिया ले जाया गया था।

18. थाना मकरोनिया में कार्यवाही के दौरान् अभियुक्त का आवाज नमूना दिये जाने हेतु प्र.पी.43 का सूचना–पत्र दिये जाने पर उसने प्र.पी.44 की लिखित सहमति दी एवं अपना डिक्लेरेशन प्र.पी.51 प्रस्तुत किया था। मांगवार्ता में अभियुक्त द्वारा बोले गये वाक्यांशों को ट्रांसस्क्रिप्ट प्र.पी.30 अनुसार पढ़वाकर अभियुक्त का आवाज नमूना विधिवत् रिकॉर्ड किया गया। आवाज नमूना की 3 नग सी.डी. बनायीं, जिन्हें अलग–अलग लिफाफों में रखकर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.31 बनाया गया। वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता से सी.डी. बनाने वाले आरक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह अ.सा.3 ने रिश्वत मांगवार्ता, लेनदेन वार्ता व आवाज नमूना की सी.डी. बनाने के संबंध में धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण–पत्र प्र.पी.9 देना भी बताया है। यहां इस बात का उल्लेख किया जाना उचित होगा कि अभियुक्त ने धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत् परीक्षण में आवाज नमूना कार्यवाही को स्वीकार किया है तथा आवाज नमूना सी.डी. आर्टिकल–एम में अपनी आवाज होना भी बताया है। निरीक्षक मंजू सिंह अ.सा.7 के अनुसार उसने घटनास्थल का नक्शा मौका प्र.पी.28 बनाया तथा मौके पर की गयी समस्त कार्यवाही का अंतिम कार्यवाही पंचनामा प्र.पी.32 बनाया था।

19. निरीक्षक मंजू सिंह अ.सा.7 ने आगे बताया है कि प्र.पी.52 के ज्ञापन से जप्तशुदा माल को एफ.एस.एल. सागर भेजा गया, जहां की पावती रसीद प्र.पी.53 व एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र.पी.54 है, जो अभियोजन के पक्ष में धनात्मक है अर्थात् अभियुक्त के हाथों की उंगलियों व पहनी हुयी शर्ट की जेब में फिनाप्थलीन पावडर मौजूद था, दूसरे शब्दों में रिश्वत राशि अभियुक्त के हाथों की उंगलियों व शर्ट की जेब के सम्पर्क में आयी थी। निरीक्षक मंजू सिंह अ.सा.7 ने यह भी बताया है कि प्रकरण में रिश्वत मांगवार्ता व आवाज नमूना की सी.डी. को प्र.पी.55 के ड्राफ्ट से तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रामेश्वर सिंह यादव के हस्ताक्षर से व प्रमाण–पत्र प्र.पी.56 के माध्यम से आर.एफ.एस.एल. भोपाल भेजा गया। **द्वितीय विवेचक उप–पुलिस अधीक्षक राजेश खेड़े अ.सा.8** के अनुसार अभियुक्त की

आवाज परीक्षण की आर.एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र.पी.59 है, इसके अनुसार "***Hence, the questioned voice marked 'Q-1(A)' is the probable voice of the person whose specimen voice marked 'S-1(A)'***". यह सही है कि आवाज परीक्षण रिपोर्ट स्वतः में सारवान् साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती, किन्तु निश्चित तौर पर यह एक सम्पुष्टिकारक वैज्ञानिक साक्ष्य है। इसके अतिरिक्त द्वितीय विवेचक राजेश खेड़े अ.सा.8 की साक्ष्य लगभग औपचारिक प्रकृति की है, उसने अभियुक्त का बायोडाटा प्राप्त करना तथा साक्षीगण के पुलिस कथन लेखबद्ध करना बताया है।

20. बचाव पक्ष की ओर से तर्क किया गया है कि अभियोजन साक्षीगण से सूचक प्रश्न किये जाने के कारण उनकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, आवेदक ने अपने भाई महेंद्र या मां से कोई लिखित सहमति नहीं ली थी, प्रथम आवेदन में रिश्वत मांगे जाने की दिनांक, समय व स्थान का उल्लेख नहीं है, अभियुक्त के समक्ष आवेदक का कोई कार्य लम्बित नहीं था, यहां तक कि घटना के समय वह चना खरीदी केंद्र प्रभारी सांईखेड़ा भी नहीं था। अभियुक्त ने आवेदक से कोई मांग नहीं की, बल्कि राशि सर्वेयर को जमा करने को कहा था। आवेदक ने समिति से ऋण लिया था और ऋण राशि बताकर ही 5,000/–रु. अभियुक्त की जेब में जबरन् रख दिये थे। आवेदक के भाई व उसकी मां की चना तुलाई की रसीद दिनांक 03.06.2020 को दोपहर लगभग 02:00 बजे के पूर्व काटी जा चुकी थी और संबंधित के मोबाईल पर इसका मैसेज भी जा चुका था, इस कारण रिश्वत की मांग किये जाने का कोई हेतुक शेष नहीं था, अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य से झूंठा फंसाए जाने का कारण भी स्पष्ट किया है। रिश्वत राशि की अन्य तथ्यों से विच्छेदित बरामदगी से अपराध प्रमाणित नहीं होता। बचाव पक्ष की ओर से न्यायदृष्टांत **बालमुकुंद वि. म.प्र. राज्य 1993 जे.एल.जे.109, सुरेश कुमार वि. म.प्र. राज्य 1994 जे.एल.जे. 247, जुगलकिशोर बनाम म.प्र. राज्य 2007 क्रि.लॉ.रि.284, संतोष कुमार वि. म.प्र. राज्य 2008 क्रि.लॉ.रि. 307, मोहन सिंह वि. उ.प्र. राज्य ए.आई.आर.1954 एस.सी.637, सुरेंद्र कुमार वि. म.प्र. राज्य 1993 एम.पी.एल.जे.30, त्रिलोकचंद जैन वि. दिल्ली**

राज्य ए.आई.आर. 1977 एस.सी.766, म.प्र. राज्य वि. अनिल कुमार वर्मा 2007 एम.पी.एल.जे.393, टी. सुब्रमण्यम वि. तमिलनाडु राज्य 2006 (1) एस.सी.सी.401, श्रीमती मीना बलवंत हेमटे वि. महाराष्ट्र ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 3377 व अन्य लिखित अंतिम तर्क में लेख किये हैं।

21. दूसरी ओर, अभियोजन ने तर्क किया है कि अभियुक्त द्वारा रिश्वत मांगे जाने व स्वेच्छया अभिप्राप्त करने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर है, जिसकी पुष्टि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, आर.एफ.एस.एल. की आवाज नमूना रिपोर्ट व एफ.एस.एल. रिपोर्ट जैसी वैज्ञानिक साक्ष्य से भी होती है। अभियुक्त ने झूंठा फंसाये जाने का जो स्पष्टीकरण दिया है, वह पश्चात्वर्ती सोच पर आधारित है।

22. यह सही है कि हस्तगत मामले में ज्ञानप्रकाश अ.सा.1, आवेदक चंद्रभान सिंह अ.सा.4 व पंच साक्षी गुरूकुल प्रभाकर अ.सा.5 से अभियोजन द्वारा **सूचक प्रश्न** किये गये हैं, किंतु सूचक प्रश्न किये जाने मात्र से, उनकी *संपूर्ण साक्ष्य* निष्प्रभावी नहीं हो जाती, इस संबंध में न्यायदृष्टांत ***सतपॉल वि. दिल्ली प्रशासन (1976)1 एस.सी.सी.727*** अवलोकनीय है। जहां तक **मूल हितग्राही अर्थात् आवेदक की माता व भाई का सहमति–पत्र प्राप्त न** करने का संबंध है, तो आवेदक चंद्रभान सिंह अ.सा.4 ने कंडिका–20 में बताया है कि सभी लोग साथ में रहते हैं और उनसे भी बातचीत हुयी थी। यह उल्लेखनीय है कि इसके आधार पर बचाव पक्ष ने आवेदक के शिकायत/रिपोर्ट करने के अधिकार/**Locus Standi** को प्रश्नगत किया है, किन्तु हस्तगत मामले में यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि आवेदक ही अपनी माता व भाई के चने की तुलाई कराने गया था, जिसकी पुष्टि प्र.पी.11 की रसीद बचाव साक्षी अमरजीत ब.सा.3 व शिवम वैष्णव ब.सा.4 की साक्ष्य से भी होती है, आवेदक के अनुसार अभियुक्त ने उससे ही मांग की थी, ऐसी दशा में उसके द्वारा ही शिकायत किया जाना स्वाभाविक है। इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि <u>अधि. 1988 की धारा 7 का अपराध संज्ञेय अपराध हैं, जिनके संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत की जा सकती है।</u> अतः बचाव पक्ष का आवेदक के शिकायत/रिपोर्ट करने के

अधिकार/**Locus Standi** के संबंध में व क्रेतागण द्वारा शिकायत न करने के संबंध में किया गया उक्त तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

23. जहां तक **प्रथम आवेदन में रिश्वत मांगे जाने की दिनांक, समय व स्थान का उल्लेख न** होने का संबंध है, तो प्रथम आवेदन प्र.पी.10 में लेख अनुसार आवेदक ने तुलाई दिनांक 02.06.2020 को करायी थी, आवेदन के साथ संलग्न कच्ची रसीद प्र.पी.11 व जप्तशुदा दस्तावेजों में संलग्न मूल रसीद प्र.पी. 11ए भी दिनांक 02.06.2020 की है, जिसमें महेंद्र की 130 बोरी व रामरानी की 28 बोरी कुल—158 बोरी (02 बोरी 01 क्विंटल के मान से 79 क्विंटल) का उल्लेख है। ऐसी दशा में स्पष्ट है कि प्रथम बार मांग दिनांक 02.06.2020 को ही हुयी थी, जिसकी पुष्टि रिश्वत मांगवार्ता से भी होती है। यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि रिश्वत ट्रेप के मामले में प्रथम आवेदन में वर्णित घटना या अपराध मूलतः विचारणीय नहीं होता है, आवेदन किसी लोक—सेवक द्वारा रिश्वत की मांग किये जाने की दशा में कार्यवाही के उद्देश्य से दिया जाता है। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक नहीं है कि प्रथम आवेदन में रिश्वत की मांग किये जाने का निश्चित दिनांक, समय व स्थान लेख किया जाये। प्रथम आवेदन प्राप्त होने पर रिश्वत मांगवार्ता की रिकार्डिंग, आदि कार्यवाही कर प्रथम आवेदन में लिखे तथ्यों के सत्यापन उपरांत ही प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाती है। हस्तगत मामले में निरीक्षक मंजू सिंह अ.सा.7 ने बताया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्रों प्र.पी.10, प्र.पी.13, व प्र.पी.14 इनकी सत्यापन कार्यवाही तथा रिश्वत मांगवार्ता ट्रांसस्क्रिप्ट से प्रथम दृष्टया अपराध गठित होना पाये जाने से उसने प्र. पी.18 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। रिश्वत मांगवार्ता की रिकार्डिंग पुलिस निरीक्षक की संतुष्टि के लिये पर्याप्त है, यह एक अलग विषय है कि न्यायालय में उक्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रमाणित हो पाती है, अथवा नहीं। हस्तगत् मामले में रिश्वत मांगवार्ता दिनांक 03.06.2020 को हुई, इसके बाद दिनांक 04.06. 2020 को रिश्वत संबंधी ट्रेप आयोजित किया गया था और उक्त दोनों दिनांक की घटनायें ही प्रकरण में मूलतः प्रश्नगत हैं। इन परिस्थितियों में प्र.पी.10 के आवेदन में अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग किये जाने की निश्चित दिनांक, समय

या स्थान का उल्लेख न किये जाने संबंधी तथ्य बचाव पक्ष को किसी भी प्रकार से लाभ नहीं पहुंचाता।

24. अभियुक्त के अनुसार वह घटना दिनांक को **चना खरीदी केंद्र प्रभारी नहीं था**, बल्कि गेहूं खरीदी केंद्र प्रभारी था, चना खरीदी केंद्र प्रभारी शिवम वैष्णव ब.सा.4 था, शिवम वैष्णव ब.सा.4 ने भी ऐसा ही बताया है। प्रकरण में आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पामाखेड़ी व सांईखेड़ा दोनों आसपास हैं और दोनों के बीच वेयर हाउस है। अभियुक्त विजय दुबे, पामाखेड़ी में सहायक समिति प्रबंधक के पद पर था, इस बारे में कोई विवाद नहीं है। आवेदक चंद्रभान सिंह अ.सा.4 ने कंडिका–24 में बताया है कि उसे जानकारी थी कि अभियुक्त ही उस समय प्रभारी था, स्वयं बचाव साक्षी रामरतन ब.सा.1 व सूर्यभान ब.सा.2 ने भी बताया है कि घटना के समय रबी फसल के समर्थन मूल्य के खरीदी केंद्र सांईखेड़ा का प्रभारी अभियुक्त था। कार्यवाही के दौरान् जप्त किये गये दस्तावेजों प्र.पी.42 की नस्ती में संलग्न बिल (पृष्ठ क्र.10) पर केंद्र प्रभारी के रूप में अभियुक्त के हस्ताक्षर भी है, जैसा कि निरीक्षक मंजू सिंह अ.सा.7 ने कंडिका–34 में बताया है। इन परिस्थितियों में यदि यह माना जाये कि अभियुक्त उक्त दिनांक को चना खरीदी प्रभारी न होकर गेहूं खरीदी प्रभारी था, तब भी यह नहीं माना जा सकता कि उसके पास चने की तुलाई का कोई अधिकार ही नहीं था अर्थात् रिश्वत की मांग किये जाने का कोई हेतुक नहीं था।

25. यह तर्क हुआ है कि अभियुक्त ने आवेदक से **राशि सर्वेयर को जमा करने को कहा था**। प्रतिपरीक्षण के दौरान् अभियुक्त की ओर से साक्षी मंजू सिंह अ.सा.7 को कंडिका–34 में यह सुझाव दिया गया है कि रिश्वत मांगवार्ता में ''हओ सर्वेयर को जमा करने'' की बात अभियुक्त ने कही थी, जिसे कि साक्षी ने सही बताया। आवेदक चंद्रभान सिंह अ.सा.4 ने न्यायालय में रिश्वत मांगवार्ता व रिश्वत लेन–देन वार्ता की सी.डी. क्रमशः आर्टिकल–के व आर्टिकल–एल की सी. डी. चलाकर सुनाये जाने पर भी इनमें अपनी व अभियुक्त की आवाज तथा आर्टिकल–एम की सी.डी. में अभियुक्त की आवाज होना पहचाना व बताया है, जिसकी पुष्टि प्र.पी.59 की आर.एफ.एस.एल. रिपोर्ट से भी होती है। अभियुक्त की

ओर से साक्षी चंद्रभान सिंह अ.सा.4 को कंडिका–37, मंजू सिंह अ.सा.7 को कंडिका–38 व राजेश खेड़े अ.सा.8 को कंडिका–8 में अभियुक्त की आवाज नमूना कार्यवाही के संदर्भ में सुझाव दिये गये हैं व प्रश्न किये गये हैं, किन्तु हस्तगत मामले में अभियुक्त ने धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण में स्वेच्छया आवाज नमूना देने की कार्यवाही व आवाज नमूना सी.डी. में अपनी आवाज होने की बात को स्वीकार किया है। रिश्वत लेन–देन की घटना के तुरन्त बाद ही लेन–देन वार्ता की सी.डी. तैयार की गयी थी, ऐसी दशा में हस्तगत मामले में अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि रिश्वत मांगवार्ता व रिश्वत लेन–देन वार्ता की सी.डी. में स्पीकर–2 के रूप में अभियुक्त की ही आवाज है।

26. एक ओर तो अभियुक्त राशि सर्वेयर को जमा करने का कहने की बात को अवलम्ब लेना चाहता है, दूसरी ओर उसी वार्ता में शेष बातें कहने से इंकार करता है। अभियुक्त परीक्षण में प्रश्न क्र.13 से प्रश्न क्र.15 के उत्तर में मांगवार्ता दिनांक को आवेदक से कोई बात न होना कहता है। सर्वेयर को किस बात की राशि जमा की जानी थी, इस बात का भी कोई संदर्भ नहीं है। दूसरी तरफ अभियुक्त उक्त राशि को ऋण राशि होना भी बताता है। इन परिस्थितियों में यही स्पष्ट होता है कि अभियुक्त मांगवार्ता के समय स्वयं रिश्वत की मांग न करना दिखाना चाहता था, इसलिये उसने सर्वेयर के नाम का सहारा लिया। ऐसी दशा में मांगवार्ता में आई केवल एक बात का कोई लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि *मांगवार्ता को बाद में होने वाले लेन–देन के समय के घटनाक्रम के साथ ही जोड़कर देखा जायेगा और उस समय सर्वेयर की कोई बात ही नहीं हुयी थी*। अतः उक्त तर्क अमान्य किया जाता है।

27. यह तर्क भी हुआ है कि चना तुलाई की **रसीद दिनांक 03.06.2020 को ही दोपहर में काटी जा चुकी थी**, जप्तशुदा दस्तावेजों में महेंद्र के नाम की रसीद प्र.पी.4ए दोपहर 01:52:47 बजे व रामरानी के नाम की रसीद प्र.पी.4 01:53:05 बजे की है, जिसे कि मंजू सिंह अ.सा.7 ने भी सही बताया है। बचाव पक्ष के तर्क अनुसार रसीद कटते ही संबंधित के मोबाईल पर मैसेज आता है और संबंधित हितग्राही को सूचना हो जाती है, इस कारण रिश्वत की मांग किये जाने

का कोई कारण ही शेष नहीं था। यहां इस बात का उल्लेख किया जाना उचित होगा कि ज्ञानप्रकाश अ.सा.1, आवेदक चंद्रभान अ.सा.4, यहां तक कि बचाव साक्षी रामरतन ब.सा.1, सूर्यभान ब.सा.2, अमरजीत ब.सा.3 व शिवम वैष्णव ब.सा.4 ने भी इस बात को सही बताया है कि तुलाई के संबंध में कच्ची पर्ची बनाकर दे दी जाती है और कच्ची पर्ची के आधार पर सहायक समिति प्रबंधक द्वारा कम्प्यूटर पर फीडिंग कर पक्का बिल बनाया जाता है। हस्तगत् मामले में चने की तुलाई दिनांक 02.06.2020 को होना न केवल अभियोजन साक्षीगण, बल्कि बचाव साक्षीगण की साक्ष्य से भी प्रमाणित हुआ है और उस दिन आवेदक को प्र.पी.11ए की कच्ची रसीद दी गयी थी। बचाव साक्षी शिवम वैष्णव ब.सा.4 आवेदक के चने की तुलाई खुद करना व कच्ची रसीद स्वयं देना न्यायालय में बताता है, किन्तु कहता है कि उसने आवेदक को 50 क्विंटल चना की हाथ से बनी पर्ची दी थी, जबकि प्र.पी.11ए की पर्ची 79 क्विंटल की है। रिश्वत मांगवार्ता के दौरान् आवेदक, अभियुक्त से ही पर्ची बनने के बारे में पूछता है, तब अभियुक्त ''50/—रु. क्विंटल'' कहता है, इस पर आवेदक कहता है कि ''हमाओ 80 तो तुल गओ, 25 और लिआने'', इससे ही स्पष्ट होता है कि तुलाई व कच्ची रसीद का कार्य अभियुक्त ने ही किया था, ना कि शिवम वैष्णव ब.सा.4 ने।

28. आवेदक चंद्रभान अ.सा.4 को दिनांक 02.06.2020 को प्र.पी.11ए की कच्ची पर्ची दी गयी थी और 70/—रु. प्रति क्विंटल की मांग की गयी थी, जैसा कि प्र.पी.10 के आवेदन में लेख भी है। अगले दिन अर्थात् दिनांक 03.06.2020 को उसने सुबह 11:30 बजे के पूर्व लोकायुक्त कार्यालय, सागर में अभियुक्त के विरुद्ध लिखित शिकायत आवेदन दिया था और प्र.पी.7 के अनुसार 11:30 बजे उसे वॉयस रिकॉर्डर ईश्यु किया गया था, जो 14:30 बजे वापिस जमा भी चुका था। रिश्वत मांगवार्ता की सी.डी. आर्टिकल—के की प्रॉपर्टी के अनुसार उक्त रिकॉर्डिंग दिनांक 03.06.2020 को 12:56:14 बजे हो चुकी थी, जबकि प्र.पी.4 व प्र.पी.4ए की रसीदें 13:52 बजे के बाद की अर्थात् लगभग 01 घण्टे बाद की है। इन परिस्थितियों में रिश्वत मांगवार्ता होने तक रसीद कटी नहीं थी। आवेदक ने भी रसीद कटने के बारे में कोई जानकारी न होना बताया है। इन परिस्थितियों में

निरीक्षक मंजू सिंह अ.सा.7 द्वारा कंडिका–31 में कही गयी यह बात पूर्णतः स्वाभाविक व स्वीकार्य प्रतीत होती है कि *मांगवार्ता में सहमति बन जाने के बाद रसीद काटी गयी थी*। ऐसे मामलों में, जहां कि आवेदक व लोकसेवक अभियुक्त के बीच का कार्य निरन्तर प्रकृति का होता है अर्थात् बार–बार काम पड़ता है, वहां एक बार रिश्वत राशि पर सहमति बन जाने के बाद अभियुक्त द्वारा कार्य कर दिया जाता है और बाद में राशि ले ली जाती है। ऐसी दशा में हस्तगत् मामले के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुये प्र.पी.4 व प्र.पी.4ए की रसीद दिनांक 03.06.2020 को दोपहर लगभग 01:52 बजे की होने का कोई लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता।

29. यह सही है कि कम्प्यूटर की रसीद दिनांक 03.06.2020 प्र.पी.4 व प्र.पी. 4ए में मोबाईल नंबर क्रमशः 7000058578 व 7770872092 लेख है, जो आवेदक चंद्रभान अ.सा.4 के अनुसार उसके भतीजे अनुराग व महेंद्र का है, आवेदक ने यह भी बताया है कि वह दिनांक 03.06.2020 को उक्त दोनों मोबाईल उसके पास नहीं थे, ऐसी दशा में यदि इन मोबाईल पर मैसेज आना माना जाये, तब भी आवेदक को इसकी जानकारी न होना स्वाभाविक है। वैसे भी प्रति क्विंटल रिश्वत की राशि तथा रिश्वत का लेन–देन तय हो जाने के बाद ही रसीद काटी गयी थी, ऐसी दशा में भले ही आवेदक को कम्प्यूटर रसीद जारी हो जाने की जानकारी होना माना जाये, तब भी रिश्वत का लेन–देन होना ही था अर्थात् उसे अभियुक्त को मांगी गयी राशि देनी ही थी। अतः मोबाईल पर मैसेज आने का तर्क भी अभियुक्त को कोई लाभ नहीं पहुंचाता।

30. इस प्रकार हस्तगत मामले में अभियुक्त द्वारा आवेदक से दिनांक 03. 06.2020 को प्रति क्विंटल 50/–रु. अवैध पारितोषण की मांग की गयी थी व दिनांक 04.06.2020 को 5,000/–रु. की राशि अभिप्राप्त किया जाना प्रमाणित रहा है। अभियुक्त ने उक्त राशि उसकी आर्टिकल–जे की शर्ट की जेब के सम्पर्क में आना व उससे बरामद किया जाना भी धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत् परीक्षण में स्वीकार किया है। ऐसी दशा में अभियोजन के पक्ष में अधि. 1988 की धारा–20 की उपधारणा सृजित हो जाती है और जब तक प्रतिकूल साबित न

कर दिया जाये, यह माना जायेगा कि अभियुक्त ने पारितोषण को धारा 7 में वर्णित हेतुक के रूप में अभिप्राप्त किया था। **अब इस पर विचार करना है कि क्या अभियुक्त ऐसा करने में सफल रहा है?** इस पर विचार के पूर्व सर्वप्रथम ही उल्लेख करना उचित होगा कि अभियुक्त की ओर से किया गया यह तर्क सही है कि बचाव पक्ष का प्रमाण भार अभियोजन के युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाण–भार के समरूप न होकर अधिसंभावनाओं की बाहुल्यता के स्तर का होता है और यदि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा सत्य होने की समुचित संभाव्यता स्थापित करने में सफल रहे तो उसका प्रमाण–भार उन्मोचित हो जाता है, अभियुक्त अपना बचाव, अभियोजन साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में आये तथ्य और अन्य परिस्थितियों से व अपनी साक्ष्य से भी प्रमाणित कर सकता है। निर्णयजन्य विधि अनुसार रिश्वत की मांग किया जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि रिश्वत राशि को ऐसा जानते हुये स्वेच्छयापूर्वक अभिप्राप्त किये जाने पर ही अपराध पूर्ण होता है और उसी दशा में धारा 20 की उपधारणा सृजित होती है, अर्थात् **रिश्वत राशि की, अन्य तथ्यों से, विच्छेदित बरामदगी मात्र होना अपराध प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।**

31. बचाव पक्ष के तर्क अनुसार दिनांक 04.06.2020 को *आवेदक ने 5,000/–रु. की राशि ऋण राशि बताते हुये उसकी शर्ट की जेब में रख दी थी,* जो बैंक में जमा की जानी थी। बचाव पक्ष की ओर से आवेदक व अन्य अभियोजन साक्षीगण को भी इसी प्रकार के सुझाव दिये गये हैं, जिन्हें आवेदक व साक्षीगण ने गलत बताया है। बचाव साक्षी **रामरतन आठ्या ब.सा.1** ने उप–समिति में आवेदक चंद्रभान से व उसके भाई महेंद्र सिंह के रबी व खरीफ फसल खातों के स्टेटमेंट प्र.डी.6 से प्र.डी.13 तथा धर्मेंद्र सिंह के ऋण खातों के स्टेटमेंट प्र.डी.14 से प्र.डी.17 को प्रमाणित किया है। न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर बताया है कि दिनांक 04.06.2020 के पूर्व आवेदक चंद्रभान अ.सा.4 का 51,363/–रु. ऋण शेष था, इसी प्रकार महेंद्र सिंह का 48,000/–रु. का ऋण शेष था। आवेदक का प्र.डी.2 का आवेदन भी दिनांक 28.04.2023 का अर्थात् ट्रेप दिनांक के लगभग 03 साल बाद का है, जिसका घटना से कोई संबंध दर्शित

नहीं है। साक्षी रामरतन आठ्या ब.सा.1, सूर्यभान ब.सा.2 व अमरजीत ब.सा.3, शिवम वैष्णव ब.सा.4 स्वयं को दिनांक 04.06.2020 की राशि लेन–देन की घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना बताते हुये कहते हैं कि आवेदक ने अभियुक्त की जेब में 5,000/–रु. की राशि रख दी थी, जब अभियुक्त को पकड़ा गया, तब उसने बताया भी था कि यह समिति के लोन/ऋण की राशि है। इस पर विचार किया जाये तो अभियुक्त ने इससे परे हटकर धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण में प्रश्न क्र.34 के उत्तर में बताया है कि ''चंद्रभान ने खाद खरीदने का कहकर 5,000/–रु. मेरी शर्ट की जेब में रख दिये थे'', प्रश्न क्र.41 के उत्तर में बताया है कि उसने निरीक्षक मंजू सिंह अ.सा.7 को बताया था कि ''चंद्रभान ने खाद के पैसे जेब में रखे हैं''। एक ओर तो अभियुक्त, अभियोजन साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में सुझाव व अपनी ओर से साक्ष्य देकर उक्त राशि को ऋण राशि होना बताने का प्रयास करता है, दूसरी ओर स्वयं अपने परीक्षण में इसे खाद खरीदने की राशि होना बताता है।

32. यह सही है कि **अभियुक्त एक से अधिक बचाव ले सकता है, किन्तु यदि अभियुक्त, बचाव की दो विपरीत धाराओं वाली नावों का सहारा लेकर दाण्डिक विचारण को सफलतापूर्वक पार करने का प्रयास करता है तो वह स्वयं ही जोखिम लेता है।** धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत लिया गया अभियुक्त द्वारा असत्य अभिवाक् उसके विरुद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक कड़ी है। विधि में माना गया है कि साक्षी झूंठ बोल सकता है, किन्तु परिस्थितियां नहीं। इसी प्रकार आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्थिति है, यदि रिकॉर्डिड वार्ता की इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पूर्णतः शुद्ध व प्रमाणित हो जाये तो यह न्यायालय को घटना दिनांक व समय पर पहुंचाकर यह सुनने का अवसर देती है कि तत्समय क्या बातचीत हुयी थी और किसने क्या कहा था। ट्रांसक्रिप्ट पंचनामा पढ़ने में कई बार बातचीत का तारतम्य (Context) छूट जाता है, किन्तु रिकॉर्डिड वार्ता सुनने से आवाज की पिच, समय अंतराल आदि बातों से बातचीत का पूरा क्रम, संदर्भ व तारतम्य बेहतर समझ आता है। रिश्वत मांगवार्ता के दौरान् आवेदक, अभियुक्त से राशि के बारे में पूछता है, तब अभियुक्त ''**50/–रु.**

क्विंटल'' कहता है, इस पर आवेदक कहता है कि ''**हमाओ 80 तो तुल गओ, 25 और लिआने**''। मांगवार्ता के दौरान् ऋण राशि या खाद राशि के बारे में किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं होती है। इसी प्रकार लेन–देन के समय आवेदक पूछता है कि :–

आवेदक	काय भईया जा के रये **कबनो कट जे फिर परची हमाई, परची कबनो कट जे**
अभियुक्त	**आ गओ है अभी..**(संभवतः कम्प्यूटर ऑपरेटर के बारे में)
आवेदक	**आ गओ.......**
अभियुक्त	**पूछ ले रये.....**
आवेदक	पांच है..............केदे उनसे सो कट कटु जाये कागज ओई के है कछु आर रजिस्ट्रेशन बचो है सो है कोनउ
अभियुक्त	चना चाने....
आवेदक	चना नई चाने कोनउ खो ऐसई दे दे.............
अभियुक्त	हम तुमे एक फायदा दुबाये दे रये, चना गिर जे तुम रजिस्ट्रेशन दे दे हमाये लाने.......
आवेदक	हओ.
अभियुक्त	**हालो अभि विजय बोल रये कहॉ हो <u>चंद्रभान सिंह दाउ के चार पांच बिल है</u>....** (इसके बाद किसी से फोन पर बात)
आवेदक	**दो है दो.**...........
अभियुक्त	**2 बिल है चनो के 1 महेंद्र नाम से है, 1 रामरानी नाओ से, वे इन खो दे दिइओ..देखके बताओ हमाये लाने फोन लगाओ**
आवेदक	ठीक है भईया.......

33. इस प्रकार इन दोनों बातों में ही ऋण राशि या खाद राशि के बारे में कोई बात नहीं होती है, बल्कि तुलाई की रसीद, जिनमें से एक आवेदक की मां रामरानी व एक उसके भाई महेंद्र के नाम की थी, के बारे में बात होती है। लेन–देन वार्ता से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 04.06.2020 तक अभियुक्त ने रसीद कटने की बात आवेदक को नहीं बतायी थी और उस दिन फोन पर किसी से बात करके रसीद देने की बात कही थी। स्वयं बचाव साक्षी शिवम वैष्णव ब. सा.4 के अनुसार उपार्जन केंद्र पर किसान से फसल विक्रय के संबंध में कोई

राशि नहीं ली जाती, यदि कोई व्यक्ति, किसान से किसी प्रकार की राशि मांगता है तो वह अवैधानिक है। इससे स्पष्ट है कि उक्त राशि वैध पारितोषण न होकर अनुचित लाभ की श्रेणी में ही आता है। इन परिस्थितियों में अभियुक्त की ओर से लिया गया बचाव पूर्णतः निराधार, काल्पनिक व पश्चात्वर्ती सोच पर आधारित होकर अभियुक्त व उसके भाई पर ऋण होने की बात को इस मामले से जोड़कर दिखाने का पूर्णतः असफल प्रयास है।

34. अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार सम्पूर्ण साक्ष्य व परिस्थितियों के आलोक में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में **सफल** रहा है कि अभियुक्त **विजय कुमार दुबे** ने दिनांक 02.06.2020 को सहायक समिति प्रबंधक पामाखेड़ी जिला सागर के पद पर अर्थात् लोकसेवक रहते हुये आवेदक चंद्रभान सिंह से उसकी मां रामरानी व भाई महेंद्र के 79 क्विंटल चना की तुलवाई की पक्की रसीद देने के ऐवज् में 70/—रु. प्रति क्विंटल के हिसाब से असम्यक् लाभ की मांग की व दिनांक 03.06.2020 को 50/—रु. प्रति क्विंटल राशि अभिप्राप्त करने हेतु सहमत होकर दिनांक 04.06.2020 को खरीदी केंद्र सांईखेड़ा में 5,000/—रु. (पांच हजार) रिश्वत राशि अभिप्राप्त की, जबकि दूसरी ओर अभियुक्त अधि. 1988 की धारा 20 की उपधारणा का अधिसंभावनाओं की बाहुल्यता के स्तर पर भी खण्डन करने में सफल नहीं रहा है।

35. फलतः **अभियुक्त विजय कुमार दुबे** को **अधि. 1988 की धारा 7** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का **<u>दोषसिद्ध अपराधी</u>** होना पाया जाता है। अभियुक्त के जमानत, मुचलके भारमुक्त किए जाकर उसे अभिरक्षा में लिया गया। चूंकि अधि. 1988 की धारा 7 में न्यूनतम दण्ड का प्रावधान है, ऐसी दशा में परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु प्रकरण दोपहर पश्चात् रखा जाए।

हस्ता./—
(आलोक मिश्रा)
विशेष न्यायाधीश
भ्रष्टा.निवा.अधि.1988 सागर म.प्र.

पुनश्च :– दोपहर 03:00

36. उभयपक्ष को दंड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त की ओर से व्यक्त किया गया कि यह उसका प्रथम अपराध है, वह 28 वर्षीय नवयुवक है, वह वर्ष 2022 से विचारण का सामना कर रहा है। यह भी व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त हृदय रोग से पीड़ित है, जिसके संबंध में चिकित्सीय दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये। अतः अभियुक्त को न्यूनतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया है। दूसरी ओर अभियोजन की ओर से व्यक्त किया गया है कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, अतः अभियुक्त को कठोरतम दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया है।

37. अभियुक्त ने आवेदक अर्थात् एक किसान से फसल की तुलाई के ऐवज् में प्रति क्विंटल 70/–रु. की मांग की और 50/–रु. की दर से राशि प्राप्त की। इस प्रकार का कृत्य एक बार में पूर्ण हो जाने वाला संव्यवहार नहीं होता है, बल्कि नियमित रूप से चलने वाला कृत्य है अर्थात् संस्थागत तौर पर किया जाने वाला घोर अवैधानिक कृत्य है। अभियुक्त को विगत् कई वर्षों से हृदय रोग से पीड़ित होना बताया गया है, किन्तु अवलोकनार्थ जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, वे जून, 2024 के बाद के हैं। प्रकरण का निराकरण अभियोग–पत्र पेश हो जाने के 02 वर्ष के भीतर हुआ है। अतः बाद विचार **अभियुक्त विजय कुमार दुबे** को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध हेतु 04 वर्ष (चार वर्ष) के सश्रम कारावास तथा 10,000/–रु. (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम की दशा में 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जाये। अभियुक्त का सजा वारंट बनाया जाकर जेल भेजा जाए। अभियुक्त ने विचारण के दौरान कोई अवधि अभिरक्षा में व्यतीत नहीं की है, इस संबंध में धारा 468 भा.ना.सु.सं.,2023 के तहत् प्रमाण–पत्र बनाया जाए।

38. प्रकरण में रिश्वत राशि 5,000/–रु. (500/–रु. के 10 नोट) आवेदक चंद्रभान सिंह पुत्र रामलाल सिंह को सुपुर्दगी पर दी जा चुकी है, रिश्वत राशि के

नोटों की प्रति पर आर्टिकल डाला जा चुका है, नोटों के नम्बर प्रारंभिक पंचनामा व जप्ती पंचनामा में भी नोट है, जिस कारण उक्त राशि की कोई आवश्यकता प्रकरण में नहीं है। अतः अपील अवधि बाद सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जाये।

39. प्रकरण में जप्तशुदा सामग्री मांगवार्ता सी.डी., लेन–देन वार्ता सी.डी., आवाज नमूना सी.डी. साक्ष्य की विषय–वस्तु होने से अभिलेख के साथ सुरक्षित रखी जायें। अन्य सामग्री अर्थात् सोडियम कार्बोनेट, फिनॉफ्थलीन पावडर से संबंधित सामग्री व अभियुक्त की शर्ट सामग्री अपील अवधि उपरांत नष्ट की जावे। अपील की दशा में जप्तशुदा सामग्री का निराकरण माननीय अपील न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित्।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

हस्ता./–
(आलोक मिश्रा)
विशेष न्यायाधीश,
भ्रष्टा.निवा.अधि.1988 सागर म.प्र.

ALOK MISHRA
Digitally signed by ALOK MISHRA
Date: 2024.10.18 16:45:39 +0530

हस्ता./–
(आलोक मिश्रा)
विशेष न्यायाधीश,
भ्रष्टा.निवा.अधि.1988 सागर म.प्र.